IT MANAGER

# बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

## आदेश

पी0–5 / 17–01–15–2020(पार्ट) पटना, दिनांक–09.07.2021

बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना संख्या 8631 दिनांक–16.10.2019 द्वारा बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2019 अधिसूचित की गयी है। इस नियमावली की कंडिका 2 (iii) के अनुसार इस संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना हैं। इस संवर्ग के कर्मी जिला पुलिस अधीक्षक/वाहिनियों के समादेष्टा एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत होते हैं। चुंकि नियुक्ति प्राधिकार पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) हैं, अतः इस संवर्ग के कर्मी एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु वे ही सक्षम प्राधिकार हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि इस संवर्ग के कर्मी जिस कार्यालय में पदस्थापित होते हैं, उस कार्यालय के कार्यालय प्रधान को इन्हे निलंबन करने एवं लघु दण्ड देने हेतु अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त हो।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 2(झ) एवं 9(1) के अन्तर्गत पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के विरूद्ध, जिस कार्यालय में पदस्थापित हैं, उस कार्यालय के आरोप के लिए यथेष्ट कारण रहने पर उन्हे लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने हेतु संबंधित कार्यालय प्रधान, जो पुलिस अधीक्षक कोटि से अन्यून न हों, को अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही आरोपित कर्मी के संबंध में की जा रही कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा/अभिलेख नियुक्ति प्राधिकार (पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, बिहार, पटना) को उपलब्ध कराया जायेगा।

यदि किसी कर्मी को निलंबित किया जाता है, तब वैसी परिस्थिति में निलंबन की अवधि में निलंबित कर्मी का मुख्यालय उसका पदस्थापन कार्यालय ही रहेगा एवं उसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान वहीं से होगा।

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना

ज्ञापांक–पी0–5 / 17–01–15–2020(पार्ट) / 114 पटना, दिनांक–09.07.2021

प्रतिलिपिः–

1. सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल/ईकाई)/सभी समादेष्टा/प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

09/07/2021

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना